



क्रमांक:निसंशि/भर्ती अनुभाग/पं.3(2)/व0अ0/2020/45099

दिनांक: 08-10-2020

परिपत्र

विषय-वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2018के अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं गणित विषय में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जिला/जिले में स्थान आवंटन हेतु विकल्प प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश।


राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार (अनु0-3) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 18.05.2020 द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग से वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जारी दिशा निर्देशों की पालना में संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए चयनित वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान/गणित) के पदस्थापन हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं-

1. विभाग में वरिष्ठ अध्यापकों के विषयवार रिक्त पदों को चिन्हित कर उनको विभागीय वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित कर दिया गया है तथा अभ्यर्थियों की ईमेल आईडी पर भिजवाया जा रहा है।
2. आयोग द्वारा विभागको अभिस्तावित अभ्यर्थियों को निम्न वरीयता क्रम से पदस्थापन हेतु जिला/जिले में स्थान का आवंटन किया जावेगा-(1) दिव्यांगजन (2)विधवा महिला (3)परिवृत्यता महिला (4)एकल महिला (5) भूतपूर्व सैनिक (6) उत्कृष्ट खिलाडी (7) पति-पत्नि प्रकरण (8) शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से।

विशेष-1.(अ)शहीद परिवार का आश्रित अभ्यर्थी (ब) अभ्यर्थी जिसके माता-पिता अथवा पति-पत्नि असाध्य रोग से ग्रस्त हो (स) अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर में मय वांछित दस्तावेजों के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त प्रकरण को विचारित कर तथा जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दी जा सकेगी।

3. प्रत्येक जिले में समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जावेगा।
4. अभ्यर्थी विभाग द्वारा संबंधित विषय की प्रकाशित रिक्तियों में स्वयं की मांग के अनुसार निर्धारित विकल्प पत्र में रिक्ति भर कर स्कैन (पीडीएफ फॉर्मेट) में स्वयं की ई-मेल आईडी से विभाग की मेल आईडी sans.seniorteacher2018@gmail.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। यह सूचना दिनांक 12.10.2020 सायं 6.00 बजे तक अनिवार्य रूप से भिजवायी जानी है। नियत समय सीमा में सूचना अप्राप्त होने की दशा में काउंसलिंग के पश्चात् शेष रिक्तियों में से स्थान आवंटन कर दिया जावेगा।
5. वरिष्ठ अध्यापक(अंग्रेजी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान/गणित), नॉन टीएसपी एवं टीएसपी क्षेत्र में चयनित सभी अभ्यर्थियों के लिए पृथक्-पृथक् विकल्प पत्र संलग्न कर लेख है कि निर्धारित विकल्प पत्र में अंकित सभी रिक्तियों को वरीयता क्रम में अंकित किया जाना है। अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के चयन विषय की सभी रिक्तियों को विकल्प के रूप में भरा जाना अनिवार्य है। सभी रिक्तियों को विकल्प के रूप में नहीं भरने तथा नियत तिथि तक विकल्प पत्र नहीं भरने की दशा में स्थान आवंटन हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. जिला/जिले में स्थान के आवंटन से व्यथित अभ्यर्थी पदस्थापन आदेश जारी होने के 03 दिवस की अवधि में अपनी परिवेदना मय आधार निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न- चयन सूची, रिक्तियों की सूची व विकल्प पत्र।


(डॉ. दीरघराम रामस्नेही)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर